

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरमाष : 0771-2262112 (अकादमिक विमाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)

कमांक :9679 /अका./2006

रायपुर, दिनांक : | 7 / 11 / 2006

।। अधिसूचना ।।

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 12वीं बैठक दिनांक 22 जुलाई, 2006 के पद कमांक—14 के अनुमोदन अनुसार — "Bachelor of Arts and Bachelor of Laws " पाठ्यकम से संबंधित अध्यादेश कमांक—126 के प्रथम पैरा में उल्लेखित — "This Course is a Five Years whole time Degree Course after 10+2 system. It will be started and run by the University in its Teaching Department under self financing scheme" के स्थान पर संशोधित कर निम्नानुसार पढ़ा जावे —

"This Course is a Five Years whole time Degree Course after 10+2 system. It will be started and run by the University in its Teaching Department under self financing scheme and by all the affiliated colleges of Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur".

C P

रायपुर, दिनांक : / 🖵 / 11/2006

उपकुलसचिव (अका.)

पृ. कमांक : 9 6 7 9 / अका. / 2006 प्रतिलिपि :-

- विभागाध्यक्ष, विधि अध्ययनशाला,
- प्राचार्य, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
- 3. संकायाध्यक्ष, विधि संकाय,
- अध्यक्ष, विधि अध्ययन बोर्ड,
- 5. उकुलसचिव (परीक्षा) / विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (गोपनीय)
- कुलपित के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक,
 पं. रिवशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

उपकुलसचिव (अका.)